International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
www.socialsciencejournal.in
Volume 3; Issue 8; August 2017; Page No. 50-53

भारत में राजनीतिक दल–जनता व सरकार के बीच की कड़ी

बी०डी० कोटाय, अन्जू गुप्ता

सहायक प्राध्यापक, राजनीतिक विज्ञान, सीताराम समर्पण महाविद्यालय, नरैनी, बाँदां, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश

''भारत में राजनीतिक दल–जनता व सरकार कें बीच की कडी'' के रूप में यह ज्ञात किया गया है कि भारत में राजनीतिक दल किस प्रकार से उत्पन्न हुए उनका इतिहास कैसा रहा साथ ही भारत के परिप्रेक्ष्य मे राजनीतिक दल जनता व सरकार के मध्य एक कडी का कार्य करते हैं एक मध्यस्यता का कार्य करते हैं साथ ही एक छोटे से समाज से निर्मित राजनीतिक दल एक बडा रुप समाज के सहयोग से धारण करता है और सरकार बनाकर शासन सत्ता सम्भालते हैं।

मूल शब्द : राजनीतिक दल–जनता, सरकार।

प्रस्तावना

वर्तमान में राजनीतिक दल किसी भी राजनैतिक व्यवस्था में सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और आज भी जनता और सरकार के बीच एक मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं क्योंकि लोकतत्रात्मक शासन प्रणाली में आम जनता का शासन रहता है भले ही वह तरीका प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष जिससे लगभग प्रत्येक नागरिक सरकार बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है और वह राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार पर अपनी सहभागिता प्रदान करता है और जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों के द्वारा ही सरकार का गठन किया गया जाता है जिसका विस्तृत वर्णन आगे किया गया हैं।

शोध उद्देश्य

1. सामाजिक शोध का उद्देश्य यह लक्षित करता है कि सामाज में उत्पन्न हो रही विकृतियों का अध्ययन व निस्तारण किया जाए तथा इतिहास के परिदृश्य में भूतकाल व वर्तमान काल के परिपेक्ष्य में नये तथ्यो की खोज की जाये।
2. पूर्व में किये गये शोधो द्वारा प्राप्त सिद्धान्तों को प्रमाणिकता प्रदान करना और यह जॉच करना कि उपयुक्त सिद्धान्त कहाँ तक व्यवहारिक सिद्ध हुआ।
3. राजनीतिक दल से सम्बन्धित प्राप्त जानकारी के आधार पर एक निश्चित सिद्धान्त प्रमाणित करना तथा उनको सरल से सरल बनाकर आम नागरिक तक सरल से सरल भाषा में प्रेषित करना।

राजनीतिक दल का अर्थ

''राजनीतिक दल" दो शब्दो का समिश्रण रूप हैं–राजनीतिक और दल। स्पष्टतः राजनीति की कार्यविधियों में भाग लेने वाले तथा राजनीति से सम्बन्धित कार्यों मे सक्रिय भूमिका निभाने वाले एक ऐसे समूह को राजनीतिक दल कहा जाता है, जिसके एक संगठित व्यक्ति नियम, शर्ते व आचार संहिता के साथ स्पष्ट उद्देश्य हों ।

दूसरे शब्दों में

राजनीति के नियमों कार्यविधियों तथा आचार संहिताओं का पालन करने वाले एक ऐसे संग्रहित रूप को राजनीतिक दल कहते हैं, जिसमें निर्धारित व निश्चित लक्ष्य तथा उद्देश्य होते हैं जिसकी प्रप्ति के लिए सभी "दली सदस्य" कार्यरत रहते हैं।

परिभाषा

1. वर्क के अनुसार

राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह हो और सामूहिक प्रत्यनों द्वारा राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहित करने वाले के लिए एकता के सूत्र में बधें हों।

2. गेटेल के अनुसार

राजनीतिक दल नागरिको का एक समुदाय है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार को नियत्रिंत करना तथा अपने सामान्य नीति की पूर्ति करना चाहते हैं।

उर्पयुक्त परिभाषा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राजनीतिक दल में चार बातो का होना आवश्यक है प्रथम लोगों को संगठित होना चाहिए दूसरे निश्चित व सामान्य उद्देश्य होना चाहिए तीसरे राजनीतिक दल का उद्देश्य राजनीति शक्ति प्राप्त करना होना चाहिए चौथे राष्ट्र का भलाई लिए शाक्ति प्राप्त करना चाहिए।

भारत मे राजनीतिक दल

भारत आज विश्व का सबसे बडा लोकतत्रांत्मक शासन प्रणाली वाला देश हैं जहाँ पर बहुदलीय शासन प्रणाली अपनाई गई है अर्थात भारत में बहुत से दल कार्यरत् हैं जिन्हे दो भागों में बॉटा गया है–

1. राष्ट्रीय राजनीतिक दल
2. क्षेत्रीय राजनीतिक दल

इन सभी राजनीतिक दलों को भारत के चुनाव आयोग के द्वारा वर्तमान में जनप्रतिनिध अधिनियम–1851 के तहत मान्यता प्रदान की जाती है जिसकी मान्यता की अलग अलग शर्ते हैं वर्तमान में भारत में छः राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं–

1. भारतीय जनता पार्टी (BJP) गठन वर्ष–1980।
2. भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस पार्टी (INC) गठन वर्ष–1885
3. भारतीय कम्युनिट पार्टी (CPI) गठन वर्ष –1925

4. मार्क्सवादी कम्यूनिट पार्टी (CPM) गठन वर्ष. 1964
5. बहुजन समाज पार्टी (BSP) गठन वर्ष –1984
6. राष्ट्रवादी काग्रेस पार्टी (NCP) गठन वर्ष. 1999

उपर्युक्त 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अलावा भरत मे 45 से ज्यादा राजनीतिक दल क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रुप मे मान्यता प्राप्त हैं और भारत के विभिन्न क्षेत्रों (राज्यों) में अपने नियमों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यशील हैं साथ ही अपने विशेष क्षेत्र में विशेष छवि भी बनाए हुये है। जिसके परिणाम स्वरूप अपने–अपने क्षेत्रों (राज्यों) में सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की है।

भारत में राजनीतिक दलो का इतिहास (History of Political Parties in India) भारत में राजनीतिक दलों का अभ्युदय कांग्रेस के गठन से माना जाता है। एक अंग्रेज अधिकारी "ए ओ हयूम" द्वारा 1885 ई0 में कांग्रेस का गठन भारत में एक दल के रूप में किया गया। और इसी दल के गठन से भारत में दलीय अनुशासन का जन्म होता है। तत्कालीन समय में अंग्रेजो के खिलाफ भारतीयों द्वारा अपनी किसी भी मांग को अंग्रेज अधिकारी प्रशासन तक पंहुचाने के लिए इस दल का गठन किया गया था।

06 दिसम्बर 1946 ई. को गठित भारतीय संविधान निर्मात्री सभा मे सबसे ज्यादा इसी दल के प्रतिनिधियों का वर्चस्व था। जनता द्वारा प्रत्यक्ष न चुने जाने के कारण "मुस्लिम लीग" नामक दल ने संविधान सभा का बहिष्कार किया ।

26 नम्बर 1949 ई. को संविधान निर्माण कार्य पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 ई. को भरत को पूर्णतः गणतंत्र घोषित कर दिया गया और भरत मे संसदीय प्रणाली अपनाई गयी चूकि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थपिका के प्रति उत्तरदायी होती है और संविधान निर्माण व क्रियान्वयन के बाद संविधान सभा को ही व्यस्थापिका का दर्जा दिया गया अतः मंत्रिमंण्डल का निमार्ण भी इसी सभा के सदस्यों के द्वारा हुआ।

26 जनवरी 1950 ई. में भारतीय संविधान लागू होने के बाद मत्रिंमण्डल का निमार्ण किया गया और चूकि इस संविधान सभा में एक ही दल कांग्रेस दल का वर्चस्व था अतः ज्यादातर मंत्रिमण्डल के सदस्य भी काग्रेस दल के ही थे इसीलिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है ''संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीयनिकाय थी।''

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1967 ईं. तब सम्पूर्ण भारत में काग्रेस का ही प्रभुत्व रहा अतः यह कहना उचित है कि भारत में एक दलीय प्रधान बहुदलीय व्यवस्था कायम है हालांकि 1977 ई. में पॉच दलों के विलय से गठित जनता पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया तब धीरे–धीरे बहुदलीय प्रणाली भारत में व्यवहारिक रुप से प्रचलित होने लगी।

राजनीतिक दलों के उपरोक्त विवेचन के बाद अब अध्ययन का विषय हैं–"राजनीतिक दल किस प्रकार से जनता व सरकार के बीच की कडी हैं।'' इसका अध्ययन करके के लिए हमे उन समस्त कार्यो को दर्शाना होगा जो राजनीतिक दल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढंग से सरकार बनाने और सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए करते हैं।

राजनीतिक दलों के कार्य :– (Functions of Political Parties) जैसा कि अपने अध्ययन में तथा अपने शोध में यह पहले भी दर्शाया गया है कि राजनीतिक दल एक छोटे से ग्राम व कस्बे से शुरु होता हैं और जन मानस की सहायता से अपने मकसद मे कामयाब भी रहते हैं क्योंकि उनका अन्तिम लक्ष्य शासन प्रप्ति होता है राजनीतिक दलों के कार्यों को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया गया है :–

दल की नीतियों तथा सिध्दान्तों का निमार्ण व कार्यान्वयन :– कोई भी राजनीतिक दल तब गठित होता है जब किसी व्यक्ति विशेष जो उस दल का प्रधान निर्माणकर्ता है, का कोई न कोई निश्चित लक्ष्य होगा। कोई एक व्यक्ति किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन लक्ष्यों को बहुत से लोगो का आश्रय पाने के लिए लक्ष्यों को एक दल के उद्देश्यों के रुप में विकसित करके दल का गठन करता है।

निश्चित रुप से जब कोई व्यक्ति किसी दल का गठन करता है तब वह अपने दल के कार्य, कार्यविधियों के सिद्धान्त आदि का निर्माण करता है और उन्ही नियमो के तहत चलकर आम जनता तक अपनी कार्य विधियों के सहारे सिद्धान्तों को क्रियान्वित करते हैं ताकि उसके दल को जनमत प्राप्त हो सके।

स्पष्टीकरणः– राजनीतिक दल का यह प्रथम व अनिवार्य कार्य यह स्पष्ट करता है कि राजनीतिक दल जनता के साथ सहयोग स्थापित किये बिना अस्तित्व मे नही रह सकता और राजनीतिक दल अपने लक्ष्यों की पूर्ति नही कर सकता इस प्रकार वह राजनीतिक दल जनता के बीच पहुॅच कर सम्पर्क बनाता है और यहीं से आम जनता धीरे–धीरे दलों से जुडती है और यही दल आम जनता को सरकार से जोडने का काम करते है।

जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना :– आज के लोकतत्रंत्मक व्यवस्था मे राजनीतिक दल तरह–तरह से आम जनता को प्रशिक्षित करने का कार्य करते है । राजनीतिक दल राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए सभा, अधिवेशन, पत्रिका, रेडियो, दूरदर्शन, जुलूस, आन्दोलन आदि का सहारा लेते हैं और जनता को यह ज्ञात कराते हैं कि आम जनता किस प्रकार सरकार की नीतियों को जान सकती है और वही जनता किस तरह से स्वयं शासन सत्ता सम्भाल सकती है। इस तरह के कार्यो में जनता राजनीतिक दल का सहयोग भी करते हैं।

स्पष्टीकरण :– चूॅकि राजनीतिक दल जनता को प्रशिक्षित करते हैं, ताकि जनता अपने दल के लक्ष्यों व उद्देश्यो की प्राप्ति में सहयोग करे। अतः यह तो विल्कुल सत्य है कि जब कोई दल आम जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त करायेगा तो वह दल आम जनता से सीधे अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से सम्पर्क बनाएगी जिसके आम जनमानस मे भी राजनीतिक दलों के प्रति और साधरण व्यक्ति भी सरकार निर्माण में अपनी क्षमतानुसार योगदान करेगा जिससे यह सिद्ध होता है कि राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच की कडी है क्योंकि जनता को सरकार से जोडने का कार्य राजनीतिक दल ही करते हैं।

नेताओं की भर्ती व चयन :– राजनीतिक दल तभी दल का रूप धारण करता है जब कि एक निश्चित समूह बन जाता है और निश्चित समूह तभी संगठित होता है जब उस समूह मे बहुत से लोग कार्य करेगें । इस प्रकार राजनीतिक दल का निर्माता और उसके सहयोगी मिलकर राजनेताओं की भर्ती करते हैं और यह भर्ती व्यक्ति मे व्यक्तित्व को परखने के बाद की जाती है कि क्या अमुक व्यक्ति इस दायित्व को सफलतापूर्वक निभा सकता है या नहीं।

राजनीतिक दल अपने दल के किसी व्यक्ति की भर्ती या चयन मे यह विशेष ध्यान रखता है कि चयन होने वाले व्यक्ति की समाज मे क्या स्थिति है, जनता उसे किस प्रकार और किस नजरिऐ से स्वीकार करती है और इस व्यक्ति के आने से हमारे दल की छवि स्थिति क्या होगी।

स्पष्टीकरण :– राजनीतिक दल उपरोक्त कार्य समाज मे प्रतिष्ठा व उदाहरण प्राप्त व्यक्ति को करता है राजनीतिक दल उसकी छवि का विशेष ध्यान रखता है जो कि जनसम्पर्क द्वारा ही सम्भव है। अतः यह स्पष्ट है कि राजनीतिक दल साधारण जनता तक पहुॅच कर उस व्यक्ति की साख के बारे में जानकारी लेता है जो कि बहुमत कहलाता है और जिस प्रकार की स्थिति उस समाज में उस व्यक्ति की व्याप्त होती है उसी अनुसार राजनीतिक दल अपने दल में नेताओं की भर्ती करता है।
चूॅकि राजनीतिक दल मे भर्ती/चयनित व्यक्ति ही सरकार निर्माण करता है। अत : यह परम सत्य है कि जनता और सरकार के बीच सामन्जस्य स्थापित करने का कार्य राजनीतिक दल को जनता व सरकार के बीच की कडी मे रूप मे जाना जाता है।

चुनावो का संचालन
आधुनिक समय मे वयस्क मताधिकार के चलते मतदाताओ की संख्या मे काफी बढ़ोत्तरी हुई है जिससे एक अकेला व्यक्ति चुनाव नही लड़ सकता क्योंकि उसे धन की भी आवश्यकता होती है और ये सभी कार्य किसी न किसी दल के द्वारा ही सम्भव है क्योकि एक दल में वही समस्त व्यक्ति समिल होते है जिनके स्वयं के उद्देश्य व लक्ष्य राजनीतिक दल के उद्देश्य व लक्ष्य होते हैं। इस प्रकार आज बढ़ती भीड़ मे बिना ''राजनीतिक दल'' मे सफल चुनाव का संचालन नही हो सकता।

डॉ. फाइनर ने कहा भी है :– राजनीतिक दलों के बिना निर्वाचन या तो नितान्त असहाय हो जायेगा या उनके द्वारा असम्भव नीतियों को अपनाकर राजनीतिक यंत्र को ही नष्ट कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण :–राजनीतिक दलो द्वारा चुनाव संचालन कार्य से भी यह प्रमाण मिलता है कि राजनीतिक दल जन सम्पर्क करता है और चुनाव संचालन मे भाग लेकर चुनाव लड़ता है बहुमत प्राप्त करता है और जनता की बहुमत इच्छानुसार सरकार का निर्माण करता है जो कि यह सिद्ध करता है कि राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता की भूमिका अदा करता है।

समाज को जागरुक व एकीकरण करना :– राजनीतिक दल अपने दल की नीतियो को कार्यन्वित करके अपने लक्ष्य की प्रप्ति के लिए समाज मे अपनी पहचान बनाता है और अपनी नीतियो व सिद्धान्तो को जनता तक पहुचा कर समाज को एक सूत्र मे बॉधने का कार्य भी राजनीतिक दल करते हैं और यह तभी सम्भव है जब आम जनता को जागरूक किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :– समाज मे जागरूकता लाना और समाज को एकीकृत करना राजनीतिक दलों का यह कार्य अपने लक्ष्यों के प्रति करने के लिए ही होता है क्योकि राजनीतिक दल अपने लक्ष्यो की प्राप्ति बिना जनसहयोग के कर ही नही सकता इस प्रकार राजनीतिक अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकीकरण व जागरुपता जैसे कार्य करता है और वही जनता दल के साथ सहयोग करके सरकार की नीतियों की जानकारी प्राप्त करता है जिससे यह कहा सकता है कि राजनीतिक दल समाज व सरकार के बीच सामंजस्य कायम रखता हैं ।

सरकार की अलोचना करना :– राजनीतिक दल लोकतंत्रतात्मक प्रणाली मे अहम भूमिका इसलिए भी निभाता है क्योकि स्वस्थ्य लोकतंत्र मे विपक्ष का होना बहुत आवश्यक होता है। चुनाव मे बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है और अल्पमत वाला दल सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाता है। विपक्षी दल सरकार के ऊपर हमेशा निशाना साधे रहता है कि सत्ताधरी दल कब थोड़ी से गलती करे और विपक्षी दल जनता के सामने सरकार को नीचा दिखा सके। विपक्षी दल सरकार की नीतियों को जनता तक पहुचाता है और उन नीतियों की कठोर व्याख्या करता है जनमानस तक पहुचता है ताकि जनता वर्तमान सरकार की नीति समझे।

स्पष्टीकरण :– जब कोई विपक्षी दल सताधारी दल (सरकार) की अलोचना करता है तब वह दल जनता व सरकार के बीच Communication का कार्य करता है जनता तक सरकार की नकारात्मक नीतियों को ले जाता है और जनता को यह अहसास कराता है कि वर्तमान सरकार किस प्रकार उनके लिए अहितकर है।
इस प्रकार राजनीतिक दल जनता को प्रशिक्षित करके अपनी ओर आकर्षित करता है जिससे कि जनता अपने दल का समर्थन करे, जो स्पष्ट करता है कि राजनीतिक दल समाज के व्यक्तियों तथा राज्य ही सरकार के बीच एक कम्यूनीकेशन का कार्य करता है एक मध्यस्थता का कार्य करता है।

सरकार निर्माण करना :– आज विश्व के लगभग सभी देशों में लोकत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है जिसमे सरकार जनता की होती है इस सम्बन्ध में थे अब्राहम लिंकन ने कहा भी है. ''लोकतत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन हैं।''
चूंकि भारत जैसे विशाल जन संख्या वाले देश में दल विहीन लोंकतत्र सम्भव नही है क्योंकि भारतीय संविधान (संविधानानुसार व्यवस्थापिका मे बहुमत प्राप्त दल ही कार्यपालिका का निर्माण करेगा) यह प्रमाणित करता है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र में कितने अनिवार्य हैं।
राजनीतिक दल आम जनता का सहयोग प्राप्त करके बहुमत प्राप्त करता है और उसी बहुमत के बल पर सरकार का निर्माण करता है जो कि जनता की ही सरकार होती है अतः राजनीतिक दलों का अन्तिम लक्ष्य सत्ता की प्राप्ति करना है ताकि वह राजनीतिक दल अपनी नीतियों को लागू कर सके और अपनी इच्छानुसार सरकार (शासन) संचालन कर सके।

स्पष्टीकरण :– राजनीतिक दल सरकार का निर्माण करते हैं चाहे वह सरकार बहुमत की हो अथवा अल्पमत की कोई भी दल सरकार निर्माण तभी करता है जब जन सहयोग प्राप्त करता है राजनीतिक दल यह जन सहयोग कई उपायों द्वारा जनमत के रूप में प्राप्त करता जो कि बहुमत होता है।
अगर सरकार बहुमत के बजाए अल्पमत की होगी तो ज्यादा दिन तक नही चलेगी और अपने कार्यकाल (सीमा) से पहले ही समाप्त हो जाने के लिए मजबूर हो जायेगी। जिससे यह स्पष्ट है कि जनता के बीच सम्पर्क बनाकर ही सरकार निर्माण किया जाता है और जनता व सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है। यह कार्य राजनीतिक दल ही करते हैं जिससे राजनीतिक दल को सरकार व जनता के बीच की कड़ी के रूप मे देखा जाता है।

निष्कर्ष
उपरोक्त समस्त विवरणों से यह ज्ञात किया जा सका है कि आज लोकतंत्रात्मक विश्व मे खासकर भारत मे राजनीतिक दल कितने उपयोगी हैं और किस प्रकार दलों के द्वारा ही सरकार का निर्माण होता है और यही राजनीतिक दल जनता व सरकार के मध्य सामंजस्य स्थापित रखने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार यह कहना उचित ही नहीं बल्कि पूर्णतः सत्य है कि राजनीतिक दल जनता व सरकार के मध्य सक्रिय भूमिका निभाते हैं जो कि जनता व सरकार को जोड़ने का कार्य है जिससे यह प्रमाणित

होता है कि राजनीतिक दल जनता व सरकार के बीच की कड़ी है।

सन्दर्भ

1. डॉ अशोक कुमार, U.G.C. नेट/जे. आर.एफ. राजनीति विज्ञान, तृतीय प्रश्न पत्र उपकार प्रकाशन आगरा।
2. गेना सी.बी., तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थायें विकास पब्लिसिंग हाउस प्रा.लि.।
3. सिंहल सुरेश चन्द्र, तुलनात्मक राजनीतिक, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा।